राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (94)परि/नियम/मु./94/644 जयपुर, दिनांक : 27.04.2012

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.6 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग की देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक बोर्ड, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा (सीनियर सैकेण्ड्री) की परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली तथा राजस्थान राज्य में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली प्रथम 500 छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में निःशुल्क वितरित किये जा रहे स्कूटी दुपहिया वाहनों को पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल के आदेश से

(महेन्द्र सोनी)
शासन उप सचिव (मु0)
शासन उप सचिव (मु.)
परिवहन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 7 (94)परि/नियम/मु./94/644 जयपुर, दिनांक : 27.04.2012

प्रतिलिपिः– निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.04.2012 को प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, यातायात (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (विधि), विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
9. श्री संजय सिंघल, ACP को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
10. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी।
11. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।
12. संयुक्त निदेशक,(छात्रवृत्ति) कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

27-04-2012

उप शासन सचिव (मु.)
शासन उप सचिव (मु.)
परिवहन विभाग
राजस्थान, जयपुर